



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 3528

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 41630 सन् 2025

विक्रमजीत

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता	:-	राज कमल
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:-	बिनोद कुमार त्रिपाठी, धर्मेन्द्र प्रताप पाल, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री यागवल्क्य पांडेय, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए., श्री डी.पी. पाल, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 145 of 2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 118(2), 115(2), 118(1), 74, 296 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद में जमानत पर विस्तार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामला अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि एफ.आई.आर. में केवल सामूहिक आरोप लगाए गए हैं और आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आवेदक द्वारा छेड़छाड़ का आरोप मनगढ़ंत है और किसी छिपे हुए उद्देश्य से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज साक्षी के कथन में विरोधाभास है जो अभियोजन की कहानी को झुठलाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक को किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सीय रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं दिखाई गई है। आवेदक दिनांक 10.06.2025 से जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जमानत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहा होने की दशा में न्याय के मार्ग से फरार होने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपर्युक्त तर्कों से इनकार नहीं कर सके।

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथमदृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **विक्रमजीत**, जो उपर्युक्त मामला अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसी राशि की व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधोस्तरीय न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7 जनवरी, 2026

पी.के.एस.

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।